राजस्थान विधान सभा

षष्ठम बैठक सोमवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९५२ ई०

सभा की बैठक आज दिनांक ७ अप्रेल, १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर में प्रातःकाल ८-३५ बजे प्रारंभ हुई। अध्यक्ष (माननीय श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण

माननीय अध्यक्ष:-

वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान न किया हो, अब ऐसा करेंगे।

(सचिव, विधान सभा, ने श्री रघुराजसिंह का नाम उच्चारित किया और उन्होंने शपथ ग्रहण की)

सदन द्वारा दिये गये धन्यवाद पर राजप्रमुख का संदेश

माननीय अध्यक्ष:-

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे श्रीमन् राजप्रमुख से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"दिनांक ३१ मार्च, १९५२ को सदन में मेरे द्वारा दिये गए अभिभाषण के लिए सभा के सदस्यों द्वारा की गई धन्यवाद की अभिव्यक्ति को मैंने अत्यन्त संतोष के साथ ग्रहण किया है।"

(I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of the Assembly for the Address I delivered to them on the 31st March, 1952.)

बजट पर वैधानिक आपत्ति

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:-

On the point of order, Sir.

Under Rule 129 Budget can only be presented on a day

appointed by the Rajpramukh. It cannot, therefore, be presented today.

(नियम १२९ के अन्तर्गत आय-व्ययक राजप्रमुख द्वारा नियत किये दिन को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः यह आज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।)

माननीय अध्यक्ष:-

ये एसेम्बली का सेशन जो बुलाया गया था उसमें कलेन्डर आफ मीटिंग्ज (बैठकों की तिथि-पत्री) पहले ही नियत कर दिया गया था और उसमें बजट का दिन भी नियत कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि राजप्रमुख की स्वीकृति से ही यह दिन निश्चित हुआ था और संभवतः सारे सदस्यों के पास कलेन्डर आफ मीटिंग्ज पहुंच गया होगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—

Sir, the Calendar of meetings is not by the order of the Rajpramukh as it does not bear his signature or his order.

श्रीमान्, बैठकों की तिथि-पत्री राजप्रमुख द्वारा स्वीकृत नहीं है क्योंकि इस पर न तो उनके हस्ताक्षर हैं और न उस पर उनकी कोई आज्ञा है।

श्री जसवन्तसिंह:—

श्रीमान् अध्यक्षजी, मुझे इस सिलसिले में कुछ कहना है। जो मेरे माननीय मित्र ने आपत्ति उठाई है, ठीक ही मालूम होती है। यदि राजप्रमुख की आज्ञा होती तो केलेन्डर (तिथि-पत्री) जो शाया किया गया था वह गवर्नमेन्ट की तरफ से ही किया गया था, राजप्रमुख की आज्ञा से नहीं हुआ था। यह बहतर है कि सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण किया जाय।

(सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जसवन्तसिंह:—

श्रीमान् अध्यक्षजी, मुझे आप क्षमा करेंगे अगर मैं यह कहूं कि दुनिया में किसी भी जगह ऐसा नहीं होता कि जब विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो और एक आपत्ति उठाने पर सरकार की तरफ से जैसा विचार या परामर्श किया जाना चाहिये वैसा यहां पर नहीं किया जा रहा है। अगर इस तरह से सरकार द्वारा काम चलाया जायगा तो मैं तो यह कहूंगा कि इस विधान सभा का काम तो दूर रहा इस बेचारी रियासत के लाखों भाग्यों का क्या हाल होगा ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—

Is any discussion allowed on a point of order.

(क्या "पाइन्ट ओफ ऑर्डर" पर कोई विचार विमर्श करने की आज्ञा दी जा सकती है ?)

माननीय अध्यक्ष:—

नो (नहीं)। मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से इसका स्पष्टीकरण किया जाय।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास: —

ईस्ट पंजाब एसेम्बली के रूल्स जो कि राजस्थान एसेम्बली में एडेप्ट (अन्तर्ग्रहीत) किए गये हैं उनकी दफा १२९ के मुआफिक राजस्थान का बजट पेश करने के लिए राजप्रमुख को दिन मुकर्रर करना चाहिए यह दिन जो मुकर्रर हुआ है उनकी सम्मति से ही हुआ है। लेकिन इस दफा में यह कहीं नहीं है कि इसको नोटिफाई (विज्ञापित) किया जायगा। इसलिए बजट प्रस्तुत करने का यह कार्य आज हो सकता है, उनकी सम्मति प्राप्त है।

श्री जसवन्तसिंह:—

जहां तक हम खयाल करते हैं, इस तरफ से, इस विरोधी दल की तरफ से, कि जो स्पष्टीकरण माननीय मंत्रीजी ने दिया उसमें हमें तो विश्वास कम होता है क्योंकि अगर राजप्रमुख की आज्ञा से दिन मुकर्रर किया जाता तो उसके लिए केलेन्डर (तिथि-पत्री) में इसका जिक्र किया गया होता और उसके लिए राजपत्र या और किसी भी जगह नोटिफाई (विज्ञापित) होता कि राजप्रमुखने ऐसा ऐसा दिन बजट की बहस के लिये या बजट पेश करने के लिए रखा है। इस विषय में अध्यक्षजी जो रूलिंग देंगे वह हमें मंजूर है, लेकिन जो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—

जैसा मैंने अर्ज किया कि रूल्स के अनुसार राजप्रमुख की आज्ञा लेना ही काफी है, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

आय-व्ययक पर वित्त मंत्री का भाषण

माननीय अध्यक्ष:—

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा राजस्थान राज्य के वर्ष १९५२-५३ का आगणित (एस्टीमेटेड) आय-व्ययक का विवरण (स्टेटमेंट) प्रस्तुत करेंगे।

मानीय श्री नाथूराम मिर्धा:—

मैं आज इस हाउस के सामने १९५२-५३ का बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,...........

प्रस्तुत आय-व्ययक को उपस्थित करते हुए मेरे हृदय में विभिन्न भावनाएं उमड़ रही हैं। ....

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़):—

अध्यक्ष महोदय, क्या लिखित भाषा पढ़ने की इजाजत है ?

माननीय अध्यक्ष:—

बजट स्पीच और ऐसे पोलिसी स्टेटमेन्ट जो होते हैं वे लिखित ही पढ़े जाते हैं और इसके लिए पहले ही मेरी आज्ञा लेली गई है।

माननीय श्री नाथुराम मिर्धा:----

(भाषण जारी रखते हुए) युगों से हम संयुक्त राजस्थान का स्वप्न देखते रहे हैं। और वर्षों से हमने ऐसी सरकार बनाने का प्रयत्न किया है जो बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी हो। वे स्वप्न व आशाएं आज सच्ची हो गई हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस सदन के प्रति उत्तरदायी प्रथम मंत्री-मंडल के प्रथम आय–व्ययक प्रस्तुत करने का कर्तव्य मेरे ऊपर आया है। यदि हमारे व्ययक में सामाजिक सेवाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था होती, जिसकी कि परम आवश्यकता है, तो मेरा कार्य और भी सुखकर होता।

२. हमारी संपूर्ण कहानी मुसीबतों और कठिनाइयों से भरी है। परन्तु यदि मैं आज की आर्थिक व्यवस्था का चित्र इस सदन के सम्मुख उपस्थित न करूं तो इस सदन के सेवक के रूप में मैं अपने कर्तव्य से च्युत हुआ समझा जाऊंगा, क्योंकि इस सदन की शक्ति व सहायता से ही हम व्यय के मदों को युक्तिपूर्वक कम करने व आय को बढ़ाने की योजनाएं निकाल कर कार्यान्वित कर सकते हैं। हमको राज्य की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ नींव पर आधारित करने तथा केन्द्र से सहायता की अपनी मांग को उचित ठहराने के लिए यह दोनों ही बातें आवश्यक हैं। दूसरों की सहायता मांगने के अधिकारी वे ही हो सकते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।

३. अब मैं सदन के सम्मुख आय-व्ययक की विशेषताओं पर प्रकाश डालता हूं।

४. १९५१-५२ के आय व्ययक में १६०५,१७ लाख की आय व १६२०,१७ लाख का व्यय तथा इस प्रकार १५·०० लाख का घाटा दिखलाया गया था। पूंजी व्यय का अनुमान २३२·७३ लाख का था परन्तु इसमें ५०·०० लाख रुपये का आकस्मिकता निधि में विनियोग भी सम्मिलित था जो केवल पुस्तकों में ही किया जाने वाला

समायोजन है। अतः शुद्ध अनुमानित व्यय १८२.७३ लाख था। विस्थापित व्यक्तियों व कृषकों को उधार तथा अग्रिम के रूप में देने के लिये १२०.४० लाख की व्यवस्था की गई थी।

५. सार्वजनिक लेखे के पक्ष में ५३.०० के मूल्य की सिक्योरिटियों के नकद भुगतान को गणना में सम्मिलित करते हुये भुगतानो का अनुमानित शुद्ध आधिक्य २.३५ लाख था। इसके लिये गुंजाइश रखते हुए तथा ५४.३२ के संरक्षण अंतर के लिए व्यवस्था रखने के बाद यह आशा थी कि बैंक से ९१.०० लाख का अग्रिम लेने पर लेखे के दोनों पार्श्व बराबर हो जाएगें। दूसरे शब्दों में राजस्व पूंजी तथा अन्य व्यवहारों को सम्मिलित करते हुये आय-व्ययक में भुगतान कुल मिलाकर प्राप्तियों से २५३.०० लाख अधिक के दिखाये गए थे और इन्हें ५३.०० लाख के मूल्य की सिक्योरिटियों का नकद भुगतान लेकर रोकड़ पोते बाकी में १०९.०० लाख की कमी करके तथा बेंक से ९१.०० लाख का अग्रिम लेकर पुरा करने का विचार था।

६. परन्तु पिछली गर्मियो में वषा न होने से आय-व्ययक में प्रकट की गई आशाएं एक बड़ी सीमा तक निष्फल प्रमाणित हो गई। इस सूखे की स्थिति के कारण सहायता कार्यों पर ही पर्याप्त व्यय नहीं करना पड़ा परन्तु भू-राजस्व भी माफ करना पड़ा और अन्य राजस्व प्राप्तियों में भी कमी हो गई। वर्षा न होने के फल स्वरूप यह आशंका है कि लगान की माफी और वसूली के मुल्तबी किये जाने के कारण "भू-राजस्व" के अंतर्गत ५४.१८ लाख की कमी हो जायगी तथा "आंतरिक यातायात-कर में" १५.४२ लाख की। यह भी कमी की स्थिति का ही द्योतक है। जैसे ही अनावृष्टि के आसार स्पष्ट हुए हैं, गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी जंगलों में से घास काटने के दिए गए ठेके रद्द कर देने की और सहायता के रूप में निशुल्क चराई की अनुमति देने की आज्ञाएं जारी कर दी गई। इसके कारण राजस्व में ४.२३ लाख का घाटा हुआ। इस प्रकार कमी की स्थिति के कारण १९५१-५२ में राजस्व में कुल ७३.८३ लाख की कमी का अनुमान है। १९५२-५३ में भी "भू-राजस्व" के अंतर्गत १६.१० लाख की कमी होगी क्योंकि कोटा डिवीजन में की गई माफी का प्रभाव १९५२-५३ की उगाही पर ही होगा। "आंतरिक यातायात-कर" की आय का एक बड़ा भाग तिलहन, मसालों कपास तथा अन्य नकदी लाने वाली फसलों (कैश क्राप्स) के निर्यात पर लगाए जाने वाले महसूल से प्राप्त होता है परन्तु १९५१-५२ की ऋतु में फसल कम होने के कारण इन वस्तुओं के निर्यात में भी कमी होगी, फलतः राजस्व में भी समान रूप से कमी हो जायगी। कमी की स्थिति के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाने से आयात-कर की आय पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी हाल ही का भावों का गिराव जहां कई अन्य दृष्टियों से वांछनीय और स्वागत के योग्य है वह इस दृष्टि से अहितकर भी है कि इसके परिणामस्वरूप आयात कम हो जायगा और कर के रूप में होनेवाली प्राप्तियां और भी घट जायंगी। १९५१-५२ और १९५२-५३ पर सम्मिलित रूप से विचार करते हुए हमारे राजस्व में कम से कम १२५.०० लाख की कमी हो जायगी। राजस्व की इस कमी के साथ साथ व्यय बहुत अधिक बढ़ जायगा, सहायता कार्य पर ११४.०० लाख व्यय

होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त ३६ ०० लाख तक के तकावी ऋण बांटने की अधिकृति दे दी गई है। दुर्भिक्ष सहायता कार्यों पर १५०'०० लाख का यह कुल व्यय १९५१-५२ और १९५२-५३ के दो आर्थिक वर्षों के बीच बांट दिया जायगा। पहिले वर्ष में हमारा अनुमान ४७.०० लाख व्यय करने का है और बाकी की राशि १९५२-५३ में काम में लाई जायगी। यदि १९५१-५२ में व्यय कम हुआ तो बाकी बची राशि, जहां तक उसकी आवश्यकता होगी १९५२-५३ में व्यय करने के लिए उपलब्ध हो सकेगी। इस सूखे का प्रभाव जिसके हम आगामी जून तक समाप्त होजाने की आशा करते हैं, १९५१-५२ व १९५२-५३ दोनों वर्षों की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा।

७. अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम कमी की परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान के निर्माण के समय राज्य ने ९०'७१ लाख रुपये की मूल राशि दुर्भिक्ष सहायता के लिए अलग विनियोजित कर रखी थी। १९५०-५१ से लेकर १९५२-५३ तक इसमें ७०'०० लाख रुपये और दे दिये जाकर कुल १६०'७१ लाख रुपये कर दिये जाने। परन्तु इसके विपरित १९५०-५१ में ३६'०६ लाख की राशि व्यय कर दी गई और १९५१-५२ और १९५२-५३ में सरकार १५०'०० लाख रुपये और व्यय कर देगी। इन तीन वर्षों में १८६ ०६ लाख के इस कुल व्यय से निधि का रुपया समाप्त हो नहीं हो जायगा वरन २५.३५ लाख की कमी और हो जायगी। सदन अनुभव करेगा कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम कष्ट निवारण के हेतु यथासंभव सब कुछ कर रहे हैं।

८. मैं फिर १९५१-५२ के संशोधित अनुमान के सिंहावलोकन पर आता हूं। कमी की स्थिति के फलस्वरूप होने वाली घटती के अतिरिक्त, वर्ष में आवश्यक विधान के अधिनियमित न होने के कारण कृषि आय-कर के अन्तर्गत भी २५'०० लाख की कमी हुई है। विद्युत विभाग के कार्य के सम्बन्ध में भी आय-व्ययक की आशाओं की पूर्ति नहीं हुई। हिसाब बराबर होने के बजाय अब हमें १६.९५ लाख की हानि का अनुमान है। ये कमियां आंशिक रूप से १९५०-५१ में सिविल लिस्ट में की गई जायज अदायगियों की वापसी के फलस्वरूप ५६'५८ लाख की एक विशेष जमा द्वारा, कृषि कार्यों और पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिये तथा सड़क नियोजन निधि से प्राप्त रकम को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये २१.९० लाख के अनुदान द्वारा और विस्थापित व्यक्तियों की सहायता पर पूर्व के वर्षों में किये गये व्यय की पूर्ति में २५'०० लाख की प्राप्ति, द्वारा पूरी की गई हैं। इनमें से अंतिम मद नई नहीं है। आय-व्ययक में इसका हिसाब सार्वजनिक लेखे में रखा गया था लेकिन अब इसका अंतरण राजस्व में कर दिया गया है। सारांश यह है कि राजस्व का संशोधित अनुमान १५९६.५२ लाख है, जब कि आय पत्रक अनुमान १६०५'१७ लाख का था।

व्यय के पार्श्व में १६०३.३१ लाख का संशोधित अनुमान पत्रक अनुमान की तुलना में १६'८६ लाख की कमी बतलाता है। इसमें से ५'४८ लाख केवल पुस्तकों में किया जानेवाला समायोजन है। ११'३८ लाख की कमी

अन्य शीर्षों के अंतर्गत कमियों द्वारा प्रति सन्तुलित कुछ शीर्षों के अंतर्गत बढ़े हुये व्यय का शुद्ध परिणाम है। अधिकतर कमियां वर्ष के पूरे या अधिकतर भाग में रिक्त रहे कतिपय पदों के कारण तथा वेतन दरों के समायोजन के लिए इकट्ठी रकम के आंशिक उपयोग और कुछ श्रेणियों में जहां कहीं भी रिक्त स्थान स्वीकृत शक्ति के २० प्रतिशत से कम रहे, रिक्त स्थानों की पूर्ति पर रोक को बनाये रखने, के कारण हुई हैं। वृद्धियां, या तो निर्वाचनों पर अधिक व्यय के कारण या संशोधित अनुमान में उन योजनाओं, जिनके लिये राज्य को अनुदान प्राप्त हुये हैं, पर व्यय को सम्मिलित करने के कारण हुई है। यह भी आशा की जाती है कि खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय पर होने वाली हानि की पूर्ति के लिये ३०.०० लाख की व्यवस्था के विपरीत, यदि २५.०० लाख दिया जाता है तो यह पर्याप्त होगा।

९. आकस्मिकता निधि में किये गये विनियोग को छोड़ते हुए, जिसका मैं पहिले ही निर्देश कर चुका हूं पूंजी व्यय का अनुमान अब २९२.०१ लाख का है। संशोधित अनुमान से १०९.२८ लाख की वृद्धि खाद्यान्नों के विशाल संग्रह करने में किये गये बृहत्तर व्यय के कारण हुई है जिसके सम्बन्ध में ऐसा विचार किया गया था कि वर्षाभाव के परिणामस्वरूप अत्यधिक मांग होगी। सरकार द्वारा किये गये विशाल संग्रहों का प्रभाव खुले बाजार में खाद्यान्नों की आमद पर पड़ा और संचित किये हुए खाद्यान्न अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक मात्रा में बाहर आगये, यहां तक कि सरकारी राशन की दुकानों से १९५१-५२ की द्वितीय छमाही के अन्दर उठाई जानेवाली मात्रा का अनुमान अब, ७२.००० टन का है जब कि पूर्व वर्ष की उसी अवधि में उठाई जाने वाली मात्रा ७७.८०० टन थी। यह सत्य है कि सरकार को मूल्य में कुछ वृद्धि करनी पड़ी, लेकिन यह कार्य सरकार को आर्थिक कठिनाइयों से बाध्य होकर करना पड़ा। कितनी भी इच्छा करते हुए, स्पष्ट रूप से हम इस स्थिति में नहीं हैं, कि आयात किये हुये गेहूं और मिलो, जिसकी हमारी लागत (वितरण बिन्दु तक) क्रमशः २१ रु० ६ आ० और १६ रु० प्रति मन है, उसे स्थानीय प्राप्त किये गये खाद्यान्नों के मूल्य की समान दरों पर विक्रय कर सके। आवश्यक रूप से हमें आयात किये गये पदार्थों के मूल्य का स्थानीय बाजार से प्राप्त किये गये खाद्यान्नों के संग्रह के साथ औसत मिलना पड़ता है लेकिन जितना ही अधिक आयात किया जाता है, उतनी ही औसत दर ऊंची हो जाती है। मूल्य ऊंचे रखने पर भी २५.०० लाख की हानि होगी, जिसके लिये आय-व्ययक में व्यवस्था की गई है।

१०. सार्वजनिक लेखे के पक्ष में, भुगतान का खर्च प्राप्ति से ५९.०९ लाख अधिक होगा और ५६.७४ लाख की कमी रहेगी। यह मुख्यतः दुर्भिक्ष सहायता पर बढ़े हुये व्यय तथा राजस्व पक्ष पर डाल दिये गये २५ लाख व्यय के कारण हुई है जिसका मैं पहले ही निर्देश कर चुका हूं। संक्षेप में अब यह अनुमान है कि ९१.०० लाख रुपये के अग्रिम के स्थान पर दोनों पार्श्वों के समन्वय के लिये अब २६०.०० लाख का अग्रिम लेना आवश्यक होगा। यह सम्भव है कि वास्तविक व्यय, अनुमानित से कुछ कम हो, उस स्थिति में बैंक से लिया जाने वाला अग्रिम उसी मात्रा में कम कर दिया जायगा।

११. अनुमान है कि यह वर्ष ७१·२१ लाख के संवरण अन्तर के साथ बन्द होगा, आय–व्ययक में ५४·३२ की रखी गई निम्नतर संख्या सही साबित नहीं हुई ।

१२. १९५२·५३ के राजस्व का अनुमान १६३२·१८ लाख और व्यय १७२५·६६ लाख है । राजस्व के अनुमान में, केन्द्रीय सरकार द्वारा, विकास कार्यों तथा पिछड़ी हुई जातियों की कल्याण योजनाओं के लिये १११·८३ लाख के अनुदान, सडक नियोजन निधि से १०·०७ लाख और जोधपुर इन्जिनियरिंग कॉलेज व्यय की पूर्ति के हेतु पृथक रक्षित राशियों से स्थानान्तरित ८·५० लाख सम्मिलित हैं । ये जमा व्यय के बराबर हैं क्योंकि अनुदान उन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये ही काम में लिये जाने चाहियें जिनके लिये कि वे प्राप्त हुये ह ।

राजस्व के अनुमान में कृषि आय-कर, जिसके लागू करने के लिये गत वर्ष एक निर्णय किया गया था और जिसके लिये शीघ्र ही एक विधेयक (बिल) प्रस्तुत किया जायगा, से १५·०० लाख तथा भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये भूमि के विक्रय से २०·०० लाख की आमद, सम्मिलित है । कुछ श्रेणियों की देशी शराबों की विक्रय दरें नीलाम की बोलियों से राजस्व में हुई कमी की पूर्ति के लिये आठ आने प्रति बोतल बढादी गई है । अन्यथा राजस्व का अनुमान वर्तमान करों के आधार पर ही लगाया गया है ।

१३. अपवादों के साथ, जिन्हें मैं बाद में बताऊंगा, व्यय सम्बन्धी व्यवस्था स्थाई व्ययों और ऐसे व्यय तक सीमित रखी गई है जो विस्तार और विकास योजनाओं के सम्बन्ध में, जो पहले ही प्रारम्भ कर दी गई हैं आवश्यक हैं । सारभुत परिवर्तन केवल दुर्भिक्ष सहायताओं के लिये नियोजनों में २०·०० से ३०·०० लाख वार्षिक की वृद्धि है यह वृद्धि दुर्भिक्ष सहायता पर बृहत्तर व्यय होने के कारण तथा पर्याप्त संचित निधि कि आवश्यकता होने से जिसका कि हम कमी वाले वर्षों में सहारा ले सकते हैं, आवश्यक हो गई है ।

१४. पूंजी विभाग में हमने, भाखड़ा नांगल परियोजना के लिये ८२·३० लाख, जवाई परियोजना को सम्मिलित करते हुए अन्य सिंचाई कार्यों के लिये ४६·३० लाख, पूर्व गत वर्षों में प्रारम्भ की गई सडकों और इमारतों को पूरी करने के लिये ३३.३४ लाख, विद्युत योजनाओं पर व्यय के लिये १७·३० लाख और जल प्रदाय योजनाओं क लिये ११·४० लाख, की व्यवस्था की है । सिंचाई के अन्तर्गत वाली व्यवस्था में चंबल परियोजना के लिये ७·०० लाख की रकम भी सम्मिलित है । यह व्यय अधिकतर परियोजना की रिपोर्ट की तैयारी सम्बन्धी प्रारंभिक अनुसंधानों के लिये है । राजस्थान और मध्यभारत इस योजना में अत्यधिक अभिरुचि रखते हैं और वह सब कुछ, जो करना हमारे लिये संभव है, हम भारत सरकार को इस परियोजना को पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लेने और तुरन्त कार्यारंभ कर देने की आवश्यकता को हृदयंग कराने के लिये कर रहे हैं ।

१५. मैं १९५१-५२ में किये गये खाद्यान्नों के विशाल संग्रहों की ओर पहले ही निर्देश कर चुका हूं। हो सकता है कि इस विशाल संग्रह को बनाये रखना आवश्यक नहीं हो, हम हमारे क्रय विक्रय के कार्य-क्रम को इस प्रकार से समायोजित करने का विचार रखते हैं कि १९५२-५३ के अंत में हमारे पास काम चलाने के लिये ३० ००० टन से कुछ ऊपर शेष बच जाय। इससे १७३·०० लाख की उपलब्धि हो जायगी जो इस समय अनाज के खाते में बृहत् योजनाओं पर व्यय करने के लिये रुके पड़े हैं। इस जमा (की रकम) की गणना करने पर शुद्ध पूंजी व्यय का अनुमान २२.६४ लाख का है।

१६. केन्द्रीय सरकार से १३२·९५ लाख का लिया हुआ ऋण आय-व्ययक में जमा कर लिया गया है, इसमें ८०·०० लाख भाकरा नहरों के लिये ४५·५० विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास ऋण देने के लिये और ७·४५ लाख पुनर्वास संबंधी योजनाओं के लिये तथा खाद्य उत्पादन के लिये है। ऋणों की वसूलियां ३०·६५ लाख अनुमानित की गई हैं और ये अधिकतर पुनर्वास के प्रयोजनों के लिये विस्थापित व्यक्तियों को दी गई तकाबी अग्रिमों और ऋणों के संबंध में है। वितरण की ओर, हमनें ऋणों के सबंध में केन्द्रीय सरकार को २८·५० लाख वापस लौटाने की तथा म्युनिसिपैलिटियों को ऋण और अग्रिम देने की, तकाबी ऋण देने की और पुनर्वास के लिये ऋणों के देने की, ८० ७५ लाख तक की व्यवस्था रखी है। दूसरे शब्दों में भाकरा नांगल परियोजना और "अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं" के लिये, जिसके लिये कि राजस्व या पूंजी व्यय के खाते में व्यवस्था रखी गई है, लिये हुये ऋणों को अलग करके ३०·६५ लाख की प्राप्तियों के मुकाबले में, १०९·२५ लाख की रकम के भुगतान होंगे।

१७. सार्वजनिक लेखे के विषय में ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्राप्तियों से ६४·३५ लाख तक के भुगतान शुद्ध रुप से अधिक होंगे।

१८. ७१·०९ के संवरण अंतर के लिये व्यवस्था करते हुये हम आशा करते हैं कि खाते के दोनों पार्श्वों को बराबर करने के लिये १२५·०० लाख का अस्थायी ऋण लेना आवश्यक होगा।

१९. इस अवस्था पर संक्षेप में दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों का भी जिनके संबंध में सदन को अभिरुचि होगी, अर्थात् हमारे विनियोगों की स्थिति, जिनका कि हमारी सामान्य आर्थिक स्थिति से गहरा संबंध है और हमारे ऋण के संबंध में निर्देश करना मेरे लिये आवश्यक है।

२०. राजस्थान के निर्माण के समय नए राज्य ने १५७९·०७ लाख के अंकित मूल्य की गवर्नमेन्ट सिक्योरिटियां, फिक्सड डिपोजिट्स तथा पोस्टल सर्टिफिकेट्स १·७० लाख के अंकित मूल्य स्टर्लिंग सिक्योरिटियां तथा २११·१३ लाख के अंकित मूल्य के रेल्वे तथा गैर सरकारी कंपनियों के शेयर प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त ११४·३० लाख के अंकित मूल्य की ट्रस्ट फंडस के आधीन सिक्योरिटियां फिक्सड डिपाजिट्स और पोस्टल कैश सिक्योरिटियां भी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार रुपये के रूप में कुल सिक्योरिटियां १७०४·०७ लाख की थीं।

२१. १९४९-५० और १९५०-५१ में ५०.२५ लाख शेयरों में और लगाए गए । यह राशि उन शयरों का याचना राशि (कॉल मनी) के रूप में देनी पड़ी जो एकीकरण में सम्मिलित होने वाली रियासतों ने खरीद रखे थे । यह राशि इसलिए देनी पड़ी कि इसके न देने पर शेयरों में पहले लगाई गई राशि भी जब्त हो जाती । इस प्रकार शेयरों का कुल अंकित मूल्य बढ़ कर २६१·३८ लाख हो गया । इनमें से पश्चिमी रेल पथ के नागदा-मथुरा सेक्शन के ८५·०० लाख के अंकित मूल्य के शेयर रेल्वे की पूंजी के रूप में केन्द्रीय सरकार को दे देने पड़े । राज्य सरकार के पास अब जो शेयर हैं उनका अंकित मूल्य १७५·४४ लाख है । इनमें से अधिकांश शेयरों से कोई लाभांश (डिविडेंड) प्राप्त नहीं होता और न ही स्टॉक एक्सचेंज से उनके भाव निकलते हैं ।

२२. १९४९-५० से लेकर १९५१-५२ तक के तीन वर्षों में ९·६५ लाख के अंकित मूल्य का सिक्योरिटियां और बढ़ा ली गई थीं । इस वृद्धि के मुकाबले में १६०·१८ लाख के अंकित मूल्य की सिक्योरिटियों का नकद भुगतान ले लिया गया और इससे प्राप्त रुपया रोकड़ पोते बाकी में मिला दिया गया । १७६·३८ लाख के अंकित मूल्य की सिक्योरिटियां केन्द्र द्वारा ले लिए गए केन्द्रीय विभागों के बैंक और डिपाजिट संबंधी दायित्वों के प्रतिमादन के रूप में भारत सरकार को हस्तांतरित की जा रही हैं । ट्रस्ट फण्डस में लगाई गई ५२·८४ लाख की मूल राशि फण्डों के संबंधित प्रशासकों को हस्तांतरित कर दी गई हैं । इस प्रकार रुपये के रूप में राज्य सरकार के पास इस समय विद्यमान सिक्योरिटियां १३२४·३२ लाख की हैं । इनमें से ४७·२५ लाख ट्रस्ट फण्डस् की हैं, १७१·११ लाख प्रयोजन विशेष के लेखों की और ११०२·९६ लाख ऐसा विनियोग है जो किसी प्रयोजन विशेष के लिए नहीं रखा गया है । इसके अतिरिक्त १·७० लाख के अंकित मूल्य की स्टर्लिंग सिक्योरिटियां भी हैं । पिछले छः महीनों में गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्स के मूल्यों में भारी कमी आ गई है । १२६९·२१ लाख के अंकित मूल्य के (बाकी के ५५·१० लाख के फिक्स्ड डिपोजिट अथवा पोस्टल कैश सर्टिफिकेट हैं) विनियोगों का १५ जनवरी, १९५२ को बाजार भाव ११८०·२४ लाख था । दूसरे शब्दों में अनुमानतः ८९ लाख का पूंजी घाटा है । सरकार के पास जो सिक्योरिटियां व शेयर हैं उनका विवरण आय-व्ययक स्मार-पत्र (मैमोरेण्डम) के भाग ३ में दिया हुआ है ।

२३. उपरोक्त विनियोग के प्रतिरूप हमने इम्पीरियल बैंक में से जमा से भी अधिक रुपया निकाल लिया है जो १ अप्रेल १९५० का ५५६·७८ लाख था । १ अप्रेल १९५१ को यह राशि बढ़ कर ६७२·४५ लाख हो गई और १९५१-५२ के अंत तक इसके ९३२·११ लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है । यह जमा से अधिक रुपया कुछ तो अन्न प्राप्ति लेखे को रुपया देने के लिये निकाला गया था और कुछ पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए ।

२४. राजस्थान सरकार को लेखा पुस्तकों में लाए जानेवाले अल्पकालीन ऋणों [भावी रक्षा निधि व अन्य निक्षेप (डिपोजिट्स) जिन पर ब्याज दिया जाता है] के अंतर अभी तक नियत नहीं किए गये हैं । अतः मैं सदन के सम्मुख अपनी ऋण संबंधी स्थिति का पूर्ण चित्र उपस्थित नहीं कर सकता परन्तु सदन यह जानने को इच्छुक होगा

कि सरकार ने केन्द्र से कौन कौन से उधार लिए हैं और उनका क्या प्रयोग किया गया है। ३१ मार्च १९५२ के अंत तक सरकार ने ३७५·५० लाख का पुनर्वास ऋण रखा है। आय-व्ययक वर्ष के अंत तक यह ४२१·०० लाख तक बढ़ जायगा। विस्थापितों को दिए गए उधार ३१ मार्च १९५२ के अंत तक ३७०·३९ लाख के होंगे और आय व्ययक वर्ष के अंत तक ४१८.१५ लाख हो जाएंगे। आय-व्ययक वर्ष के अंत तक हमें १००·०० लाख भाकरा नांगल योजना के लिए भी लेने पड़ेंगे जो राजस्थान में भाकरा की नहरों के निर्माण पर व्यय किये गये हैं अथवा किये जायंगे। अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिए १२·९५ लाख और उधार लेने पड़ेंगे।

२५. पुनर्वास कार्यों के लिए उधारों पर ३ सही ५/८ प्रति शत का ब्याज लगता है और उनमें से गृह निर्माण के लिए करा लिए गए उधार २० समान व वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान किए जाने योग्य हैं, ग्रामीण उधार १० समान किश्तों में और नागरिक उधार ३ से ६ किश्तों में। इनमें से १९५१–५२ के अंत तक भारत सरकार को ३०·८३ लाख रुपया पुनर्भुगतान के योग्य हो गया है १९५२-५३ में २६·७६ लाख और पुनर्भुगतान योग्य हो जाने पर कुल ५७·५९ लाख पुनर्भुगतान योग्य हो जायगा। आवश्यक है कि यह पुनर्भुगतान विस्थापित व्यक्तियों से वसूलियां करके लिये जाए। किसी न किसी कारणवश यह वसूलियां तेजी से नहीं की जा सकीं, पर हमें आशा है कि १९५२-५३ के अंत तक लगभग २८·५० लाख एकत्र हो जाएंगे। आय–व्ययक में "केन्द्रीय सरकार से उधार" के अंतर्गत इस राशि के पुनर्भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है।

२६. इन उधारों की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि समस्त वास्तविक घाटे केन्द्र व राज्य सरकार के बीच आधे आधे बांट लिये जायंगे। उधारों की अपनी प्रकृति तथा उन परिस्थितियों से जिनमें, विशेषकर आरंभिक वर्षों में वे देने पड़े थे यह अनिवार्य है कि उन्हें वसूल करने का हमारा प्रयास कितना भी पूर्ण क्यों न हो बड़े बड़े घाटे अवश्य लगेंगे। सदन इस बात का समर्थन करेगा कि हम इस बोझ को सह सकने के योग्य नहीं हैं। उचित समय पर हम भारत सरकार के सम्मुख यह प्रश्न उठाएंगे और ऐसा प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उसके आर्थिक हितों की रक्षा का पूरा प्रयत्न करते हुए केन्द्र के विश्वास पात्र एजेन्ट के रूप में ही काम कर सकें और हमारे ऊपर कोई दायित्व न रहे।

२७ मैं सदन को अलग अलग एक एक लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय का विवरण बताकर कष्ट नहीं देना चाहता। यह सब विवरण उन पत्रों में दिए हुए हैं जो आय व्ययक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बाँट दिये गए हैं। १९५१-५२ के पत्रक अनुमानों तथा उस वर्ष के संशोधित अनुमानों और १९५१-५२ के संशोधित अनुमानों तथा चालू वर्ष के पत्रक अनुमानों के बीच अन्तर के कारण आय व्ययक स्मार-पत्र में बतलाए हुए हैं।

२८ आय व्ययक की एक संक्षिप्त रूप रेखा बतलाने के बाद अब मैं इसके द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण करूंगा। इसकी सब से पृथक और महत्वपूर्ण विशेषता राजस्व और व्यय के मध्य ९३·४८ लाख के अंतर की है। यह

अंतर कोई चलती फिरती चीज नहीं है, वरन—यदि अतिरिक्त आय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया और मुस्तकिल खर्च को कम करने का गंभीर प्रयास न किया गया तो यह एक स्थायी रूप धारण कर लेगा। पिछले वर्षों में यह कमी दो कारणोंवश पूर्णतया प्रकट नहीं हो पाई ।

राजस्व के मद में हमारे पास राजस्व के कुछ अनावर्तक मद थे जो कुल मिलाकर लगभग ७१.०० लाख के होते थे। यह १९४८-४९ व १९४९-५० के दियासलाई व तम्बाकू के आबकारा करों व नमक पर अधिकार शुल्क के भुगतानों के बकाया थे। भारत सरकार की १९५८-५९ में समाप्त होने वाले दस वर्षों के अन्दर अन्दर मादक द्रव्यों के सेवन की आदत को उत्तरोत्तर कम करने की नीति के फलस्वरूप अफीम से होने वाली आमदनी म भी ५.२८ लाख की कमी हो गई है। यह ७५.०० लाख से कुछ ऊपर की कमी एक स्थाई चीज है। यथार्थ में ५८.१८ लाख की अफीम की आमदनी जो आय व्ययक में जोड़ ली गई है। आगामी छः सात वर्षों में विलोप हो जायगी अस्तु हमें इससे होने वाली कमी करने के तरीके व उपाय ढूंढने हैं। अभी तक कुछ तो स्थानों के रिक्त होने के कारण और कुछ समस्त कर्मचारियों को नये दर पर वेतन देना आरम्भ न करने के कारण व्यय भी कम था। उदाहरणार्थ १९५०-५१ व १९५१-५२ दोनों ही वर्षों में पुलिस दल की शक्ति पूरी नहीं रही है। भू-आलेख्य, चिकित्सा व शिक्षा विभागों में बहुत से स्थान रिक्त पड़े थे। जैसे ही इन स्थानों की पूर्ति होगी व्यय अनिवार्यतः बढ़ जायगा ।

राजस्थान का निर्माण हो जाने से प्रबन्धकारी संगठन का एक एकीकृत आधार पर व्यवस्थित करना तथा उपयुक्त श्रेणियां बनाना आवश्यक हो जाता है। वेतन दर भिन्न रियासतों में भिन्न भिन्न थे। कुछ रियासतों में तो वे ऊंचे थे और कुछ में नीचे। इन भिन्नताओं को अनिवार्यतः समाप्त करना था। वेतन और भत्तों की एकीकृत दरें लागू करने से कोष पर लगभग ९०.०० लाख का व्यय बढ़ जायगा ।

२९ हमारी तत्कालिक समस्या और कार्य यह है कि राजस्व और व्यय के बीच को इस बड़ी खाई को कैसे पाटें। अतिरिक्त कर को स्वीकार करने से पूर्व निश्चय ही सदन यह चाहेगा कि हम उन्हें विश्वास दिलादें कि हमने प्रशासन सम्बन्धी व्यय को कम करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किये हैं ।

एकीकरण का पहला दौर अब समाप्त प्राय है। सरकार अब तत्काल इसकी अगली मंजिल पर चलना चाहती है। अर्थात् वह प्रशासनीय ढांचे को सुव्यवस्थित करना चाहती है जिससे ऐसी मदें समाप्त हो जायं जिन पर व्यर्थ रुपया व्यय होता है अथवा जिनके कारण व्यर्थ का काम बढ़ता है। सरकार का उद्देश्य विभागों के कार्यों में इस प्रकार का समन्वय लाना है जिससे एक ही काम को करने वाले भिन्न भिन्न विभाग समाप्त हो जाए और केवल इतने ही विभाग रहें जिनसे कार्य व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके । दूसरे शब्दों में हमें प्रशासन को एक सुदृढ़ और मितव्ययी इकाई बनाना है। गत वर्ष भारत सरकार ने हमारी राज्य-सरकार की प्रार्थना पर अपने खर्चे पर कृपा करके एक उच्च अर्थ अधिकारी हमारे व्यय का पुनरीक्षण करने तथा इसे कम करने के तरीके व उपाय बताने और हमारी आय बढ़ाने के साधन सुझाने को नियुक्त किया था। उसकी रिपोर्ट का जिसमें बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं अध्ययन किया जा रहा है। और क्योंकि

मितव्ययता के उपायों को कार्यान्वित करने की हमारी उत्कट इच्छा है इसलिये हमने आय-व्ययक में ३२ लाख की पिंड राशि कटौती की है। मुझे आशा है कि जब सदन के सम्मुख दुबारा वार्षिक स्थिति का अवलोकन करने का अवसर आएगा तो मैं संतोषजनक प्रतिफलों की सूचना देने की स्थिति में होऊंगा। अपना भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जो वास्तव में करना भी चाहिए, हमें केन्द्र की कुछ हद तक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारे आर्थिक ढांचे में कुछ अन्तर्निहित त्रुटियां विद्यमान हैं।

३०. यह आवश्यक होगा कि वर्तमान करों से आमदनी बढ़ाने के उपाय व रीतियां ढूंढ निकाली जायं तथा नये कर लगाना भी आवश्यक हो सकता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब कभी सरकार समुचित विचार के उपरान्त सदन के सम्मुख विचारार्थ कोई ऐसा उपाय रखेगी तो सदन उसका समर्थन करेगा।

३१. यद्यपि हमारी कुल आमदनी का एक प्रमुख साधन कर की आमदनी है जिससे ७१ प्रतिशत आय होती है और कर से प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति आमदनी भारत के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अधिक है फिर भी हमारे पास साधनों की कमी है। इसका कारण यह है कि पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश और मैसूर जैसे भाग्यशाली राज्यों की भांति हमें खनन, विद्युत और वनों से कोई बड़ी आमदनी नहीं होती। साधनों की दृष्टि से हम अपने पड़ोसी राज्य अजमेर से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं जहां कि राज्य की अपनी कुल आमदनी व्यय का कुल ५० प्रतिशत ही है। दुर्भिक्ष का हमारी अर्थ व्यवस्था पर सदैव प्रभाव रहता है। औसत से हमें प्रति वर्ष लगभग २० से ३० लाख के राजस्व का घाटा लगता है तथा इसके अतिरिक्त दुर्भिक्ष सहायता के व्यय के लिए प्रायः ३० लाख वार्षिक और देना पड़ता है। राज्य के विशाल भागों में जनसंख्या के दूर दूर बसे होने तथा गमनागमन के साधनों की कमी के कारण प्रशासन का प्रति इकाई व्यय बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त कुछ तो सीमा राज्य होने की अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण तथा कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण हमारे ऊपर बहुत सा अतिरिक्त व्यय भी आ पड़ा है। हमें लगभग ५५ लाख सीमा-पुलिस पर व्यय करने पड़ते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम इतने बड़े भार को वहन नहीं कर सकते। किसी भाग "क" के राज्य में जहां राज्य के, प्रधान पर पांच या छः लाख व्यय किए जाते हैं वहां हमें नरेशों के सम्बंधियों को भत्ते देने, राज प्रासादों पर रहने वाले रक्षकों का खर्चा चलाने, नरेशों के लिए निःशुल्क विद्युत तथा जल प्रदाय जैसी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने, तथा महाराज-प्रमुख तथा राजप्रमुख को भत्ते देने पर लगभग ४५.०० लाख रुपया लगाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे राजस्व का अधिकांश भाग सुरक्षा सेवाओं के मूल्य व निवृत्ति वेतन जैसे स्थायी प्रभारों पर व्यय हो

जाय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामोन्नति और समाज सेवा, पशु-चिकित्सा विभाग, सहकारिता, उद्योग तथा रसद जैसी सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय देश भर की तुलना में सबसे कम हो। हमारी यह कठिनाइयां तभी दूर हो सकती हैं जब हमें केन्द्र की पर्याप्त व वास्तविक सहायता प्राप्त हो। संघीय आर्थिक एकीकरण के समझौते में निश्चय ही इसका वचन दिया गया है जिसमें कि भारत सरकार ने प्रशासन व सेवाओं के आन्तरिक एकीकरण के सम्बन्ध में तथा इस बात का ख्याल करते हुए कि भाग "क" के राज्यों की तुलना में यह राज्य कई बातों में पिछड़ा हुआ है, विशेष रूप से विभिन्न दिशाओं में इसकी उन्नति के सम्बन्ध में सहायता के लिये राज्य की आवश्यकता को स्पष्टतया स्वीकार किया है और "यथासम्भव शीघ्र आर्थिक और प्राविधिक सहायता देने के उद्देश्य से यहां की समस्याओं की विधिपूर्वक अन्वेषण करने का भार लिया है।" उन्होंने यह भी अनुभव किया कि "यदि संघीय आर्थिक एकीकरण के फलस्वरूप अनुदानों व अन्य प्रकार की सहायताओं के प्रश्न में इस राज्य के साथ भी ठीक उसी प्रकार का व्यवहार किया जायगा जैसा कि भाग "क" के राज्यों के साथ तो यह पर्याप्त न होगा।" हम अर्थ-आयोग (फाइनेंस कमीशन) को अपनी कठिनाइयां समझाएंगे व अपने मामलों को उसके सामने रखते हुए समझौते में किए गए वचन का पालन करने की मांग करेंगे। परन्तु हम अपने मामले को केवल तभी बनाए रख सकते हैं जब कि हम आयोग को व केन्द्रीय सरकार को इस बात से सन्तुष्ट करदें कि हमने अपनी ओर से जो कुछ हम कर सकते हैं वह सब किया है अथवा करने को तैयार हैं।

३२. क्योंकि राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल ने केन्द्रीय सरकार के प्रति बहुमूल्य सेवा की है, अतः हम उस पर होने वाले व्यय को पूरा करने का प्रश्न भारत सरकार के सम्मुख उपस्थित कर रहें हैं। दुर्भिक्ष सहायता व्यय के सम्बन्ध में भी हम भारत सरकार से कुछ सहायता देने को कहने का विचार करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी इन प्रार्थनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और हमें किसी रूप में कुछ सहायता मिल भी जायगी।

३३. अपनी इन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही पंच-वर्षीय उन्नति योजना बनाने में हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ा है। हमारे अपने साधन सीमित होने के कारण हमने अपनी योजनाओं का आकार व विषय प्रधानतः केन्द्र से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के आधार पर ही निर्धारित किया है। इस संबंध में अपने प्रस्ताव हमने अपनी मुख्य आवश्यकताओं तक ही केन्द्रित रखे हैं जिनमें से प्रमुख हैं खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचन संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना, प्रशासनीय कार्य में कुशलता तथा सामान्य जनता के हित में

संवहन का सुधार करना, नगर व ग्राम्य जल-प्रदाय योजनाएं तथा किसी रूप में कृषि सुधार व पशुधन, जो हमारी अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, की सुरक्षा के उपाय गत मई में केन्द्रीय व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के मध्य वार्तालाप में यह संकेत किया गया था कि हम केन्द्र से ९ करोड़ तक की सहायता की आशा कर सकते थे जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगा।

सिंचन	४००.०० लाख
सड़कें	२५०.०० लाख
ग्राम्य जल प्रदाय योजनाएं	१००.०० लाख
कृषि व पशुचिकित्सा सुधार	९०.०० लाख
वनारोपण	२०.०० लाख
पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की योजनाएं	१५.०० लाख
घरेलू उद्योग धन्धे, भेड़ पालन व वर्गीकरण का सुधार	१५.०० लाख
प्राविधिक टेकनिकल शिक्षा	१०.०० लाख
	९.००.०० लाख

हमें यह भी बतलाया गया था कि इसमें से ३००.००लाख पहले दो वर्षों में उपलब्ध कर दिये जावेंगे। जिसमें से सिंचन कार्यों व सड़कों की उन्नति के कार्य--क्रम में से प्रत्येक पर एक करोड़, जल-प्रदाय योजनाओं के सुधार पर ३०.०० लाख व अन्य मदों पर ७०.०० लाख व्यय किया जाना था। सिंचन कार्यों के महत्व का ख्याल रखते हुए संशोधित योजना भेजते समय हमने यह प्रार्थना की थी कि सिंचन कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि में अन्य मदों में से इतनी ही राशि की कमी करके २४ लाख की वृद्धि करदी जाय। हमें कुल मिलाकर १.२५ लाख प्राप्त हो गए हैं अथवा इतनी राशि देने का वचन दे दिया गया है जिसमें से ५० लाख सिंचन कार्यों के लिए हैं, ६० लाख सड़क उन्नति की योजनाओं के लिए तथा ५ लाख पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिए। आय-व्ययक के वर्ष में हम कम से कम पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिए ५ लाख और प्राप्त करने की आशा रखते हैं, जिसके लिए व्यय पार्श्व में हमने पहले ही व्यवस्था करदी है। हमने भारत सरकार से अब और सहायता के लिये प्रार्थना की है। यह उपलब्ध हो जाने पर सिंचन कार्यों, ग्राम्य-जल-प्रदाय योजनाओं, तथा पौधों की रक्षा व भेड़ पालन और ऊन के वर्गीकरण में सुधार सम्बन्धी उपायों के लिये अतिरिक्त रकम देना संभव हो सकेगा। केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों ने मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए उपाय ढूंढ निकाले हैं। परन्तु यह कार्य महान् राष्ट्रीय महत्व का है तथा इसका व्यय केन्द्र व राज्य के बीच बांट लिया जाएगा। इसके प्रति हमारी ओर से दिया जाने वाला व्यय उस अनुदान में से किया जावेगा जो हम वन सुधार योजनाओं के निमित्त प्राप्त करने की आशा करते हैं।

३४. दूसरे विषयों पर प्रकाश डालने से पूर्व मुझे गांवों और नगरों के संयोजन की परियोजनाओं का भी उल्लेख कर देना चाहिए । भारत सरकार और संयुक्त राज्यों के मध्य एक समझौते के अंतर्गत ऐसी विकास योजनाओं के लिये लगभग ५०.०० करोड़ की एक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। इस निधि में जिन योजनाओं को रुपया दिया जावेगा उनमें से गांवों और नगरों के संयोजन की विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी । समस्त देश भर में ५० केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस योजना का उद्देश्य गांवों और नगरों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहन देना है । यह कार्य उसी तरीके पर किया जायगा जिस पर कि नील खेड़ी और इटावा में सफलता के साथ किया गया है। इस परियोजना का ध्येय कृषिसंबंधी उन्नति करना, समाज शिक्षा का प्रसार करना, जनता के स्वास्थ्य का सुधार करना तथा नई नई कलाओं व धन्धों का प्रचार करना है। राजस्थान के हिस्से में दो केन्द्र तथा एक विकास क्षेत्र आया है । यह योजना बड़ी आशापूर्ण है। इससे हमें यह पता लगता है कि समस्त देश के लिये कैसे घने विकास का कार्य-क्रम बनाया जाना चाहिए। इस योजना का विस्तृत विवरण तैयार हो जाने पर उचित समय में सदन के सम्मुख रख दिया जायगा।

३५. अब मैं सदन का ध्यान आय-व्ययक की मुख्य विशेषताओं की ओर आकर्षित करूंगा । सबसे प्रमुख समस्या "न्याय और व्यवस्था' की है। हम संपूर्ण पुलिस संगठन की सब दृष्टियों से परीक्षा कर रहे हैं और यह भी अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पुलिस की वर्तमान शक्ति कहां तक पर्याप्त है।

३६. दूसरी महत्वपूर्ण समस्या भोजन की है। जैसा कि सदन को भली भांति विदित है, हम कमी वाले राज्यों में से हैं और इसलिए हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़ते हैं। खाद्यान्न की उपज बढाने की कोई योजना उस समय तक अंततः सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें भूधारणाधिकार पर पूरा विचार न किया जाय और कृषि करने वाले के अधिकारों का समुचित संरक्षण नहीं किया जायगा। कृषक के लिये इससे बढ़कर महत्व की कोई बात नहीं है कि भूमि में उसके अधिकारों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जाय और उसे जो जो भुगतान करने हों वे नियत कर दिये जाएं। गत दो वर्षों में भू आलेख्य विभाग को विस्तृत करने तथा अधिक पटवारियों को प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया है। पटवारी ही इस विभाग का मुख्य आधार है। हम बन्दोबस्त के कार्य-क्रम में भी शीघ्रता करने का विचार कर रहे हैं, इसी आशय से अन्य जिलों में बन्दोबस्ती कार्यवाहियों के सामान्य कार्य-क्रम के अतिरिक्त बाड़मेर जिले में सरकारी तौर पर बन्दोबस्त करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने की स्वीकृति भी दे दी गई है। यह सरकार जागीरों के पुनर्ग्रहण के लिए कानून द्वारा बंध चुकी है । इस कार्य के लिए प्रारंभिक उपाय करने अनिवार्य हैं। जहां तक जागीरों की समाप्ति के फलस्वरूप आने वाले संपूर्ण आर्थिक दायित्व का प्रश्न है उसकी पूर्णतया गणना करनी अभी बाकी है।

३७. अन्न:—मैं पहले ही उन विशाल अन्न संग्रहों के विषय में निर्देश कर चुका हूं जो सरकार ने कमी की हालतों के परिणाम स्वरूप बढ़ने वाली मांग

की पूर्ति के लिए तैयार किये थे । आंशिक रूप से इन विशाल संग्रहों के परिणाम स्वरूप, किन्तु अधिकतः अन्य आर्थिक कारणों से पिछले महिनों में संचित अन्न की आश्चर्यजनक तथा स्वागत-योग्य आमद हुई जिसके परिणाम-स्वरूप खुले बाजार के मूल्यों में कमी होगई । फल-स्वरूप, राज्य के बहुत से भागों में आज सरकार की विक्रय दरों में और खुले बाजार के मूल्यों में कोई अन्तर नहीं हैं या है तो बहुत ही थोड़ा । खुले बाजार में मूल्यों की कमी के साथ साथ माल की विशाल आमद से सरकारी संग्रहालयों पर मांग के पर्याप्त रूप से कम होने में सहायता मिली है । १९५०-५१ में २,१६,००० टन और १९४९-५० में २,२६,००० टन के मुकाबले में १९५१-५२ में सरकारी संग्रहों से निकासी १,३१,००० टन अनुमानित की गई है । हमें आशा है कि यह आशाप्रद प्रवृत्ति पर्याप्त जारी रहेगी और १९५२-५३ में सरकारी संग्रहों से मांग १,३०,००० टन से अधिक नहीं होगी । यदि हमारी आशा सफलीभूत होती है तो बाहर से खाद्यानों के आयात में पर्याप्त कमी करना संभव हो जायगा । सामान्य वर्षा, जिसकी हम सबको आशा ह और जिसके लिए सब उत्सुक प्रार्थना करते हैं, तथा हमारे अन्न-प्राप्ति के कार्य क्रम से, पर्याप्त सहयोग से यह भी संभव हो सकता है कि हम बाहर से कोई क्रय न करें। । इसी आधार पर हमने अन्न सहायता के लिए आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं रखी है । हम हमारे अतिरिक्त संग्रहों को समाप्त करने की इच्छा रखते हैं किन्तु परिस्थिति का हम पूर्ण ध्यान रखेंगे और सरकार के पास किसी भी संभव स्थिति का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त संग्रह रखेंगे ।

सामान्यतः यह राज्य ५०,००० से ६०,००० टन तक खाद्यान्नों का आयातक है, किन्तु हम हमारे संग्रहों का उपयोग करके इस वर्ष क्रय न करने का विचार रखते हैं । १९५३-५४ में हमें बाहर से क्रय करना होगा । बाहर से आये हुए अन्न के मूल्य अभी हाल में ही बढ़ गये हैं और उस अन्न पर खर्चा बचाने के भूकाल पर मूल्य २३ रु० १५ आना प्रति मन गेहूं और १८ रु० १० आना प्रति मन 'मिलो' आयगा । अन्न के मूल्यों की भावी समस्या ऐसी है जिस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है और अन्न के भावों को उचित स्तर पर रखने को सरकारी सहायता के आवश्यक होने की स्थिति में हमारी अर्थ समस्या और भी गंभीर हो जायगी । हमारी मुख्य भावी चिन्ताओं में से यह एक है । हमें वह सब कुछ करना आवश्यक है जो हम , स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने और प्राप्ति के बाह्य साधनों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिये, कर सकते हैं ।

सदन यह जानना पसन्द करेगा कि अन्न उत्पादन की वृद्धि के लिये क्या किया जा चुका है और क्या करने का प्रस्ताव है। हमने,"अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के लिये कुछ रूप रेखायें केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं और यदि वे अनुमोदित होजाती हैं तो मैं आवश्यक विनियोजन के लिये पुनः सदन के पास आऊंगा । इन योजनाओं के लिये अन्न प्राप्ति के बोनस से धन दिया जायगा । यद्यपि योजनाओं का क्षेत्र सीमित है ।

अन्न उत्पादन में वास्तविक वृद्धि के लिये, एक मात्र महान उपाय सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना है । दो प्रधान योजनाएं, भाखरा नांगल परियोजना जिससे बीकानेर डिवीजन में ९ लाख एकड़ से कुछ अधिक की शाश्वत सिंचाई के लिये व्यवस्था हो जायगी, तथा चंबल परियोजना है । बहुत सी कम व्यय की

योजनाएं भी हैं, जिनके लिये, जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं भारत सरकार ने ४००.०० लाख तक की सहायता देने का संकेत किया है, जिसमें से, जैसा कि पहले कहा जाचुका है, हमको ५०,०० लाख प्राप्त हो चुके हैं।

३८. आय व्ययक में सिंचाई के लिये रखी गई, व्यवस्था पर फिर कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर आय-व्ययक में सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल २३८.०५ लाख के व्यय की व्यवस्था है। हमने गंगनहर की हिफाजत के लिये जो इस समय हमारा प्रधान-उत्पादक-सिंचाई-कार्य है, १८.७० लाख की व्यवस्था रक्खी है। अतीत में इन नहरों के निर्वाह के संबंध में कुछ उपेक्षा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से श्रोतों में कीचड़ जमा होगया और नहरों द्वारा सिंचाई किये जाने वाले एकड़ों की संख्या में कमी होगई। १९५१-५२ से निर्वाह कार्यों के लिये विशाल व्यवस्था रखी जारही है। निम्नलिखित अंको से सदन को वृद्धि के संबंध में कुछ आभास हो जायगा। १९४९-५० में समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के अन्दर वार्षिक औसत व्यय ८ से ९ लाख वार्षिक के लगभग है। १९५१-५२ में ११.४५ लाख की व्यवस्था थी और इसमें समेजा नहरों से कीचड़ निकालने के लिए १.५० लाख का एक विशेष अनुदान भी सम्मिलित है। १९५२-५३ के लिये हम १८.७० लाख की व्यवस्था रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इन बढाई हुई व्यवस्थाओं के परिणाम-स्वरूप केवल सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र में ही वृद्धि नहीं होगी किन्तु वर्तमान सिंचित क्षेत्रों में अधिक अच्छी सिंचाई हो सकेगी। गत दो वर्षों के अन्दर नहरों के लिये रक्खी गई अधिक रकम के फल स्वरूप ऐसी आशा की जाती है कि इन नहरों की सिंचन-शक्ति ५०.००० एकड़ और बढ जायगी। इस प्रकार अन्य सिंचाई कार्यों के लिये भी व्यवस्था बढादी गई है। ऐसे कार्यों, जिन पर एक लाख से कम रुपये की लागत का अनुमान किया गया है, १९५१-५२ में हम ४७.७४ लाख और १९५२-५३ में ४८.७१ लाख के व्यय करेंगे। ऐसे कार्य जिन पर एक लाखसे अधिक की लागत का अनुमान किया गया है, व्यय निम्न प्रकार से होगा:—

	१९५१-५२	१९५२-५३
भाखरा नांगल परियोजना	१३.०० लाख	८२.३० लाख
जवाई परियोजना	२६.२६ लाख	२५.६७ लाख
अन्य कार्य	४३.८४ लाख	४८.३३ लाख
योगफल ..	८३.१० लाख	१५६.३० लाख

जवाई परियोजना आधी से अधिक पूरी हो चुकी है और यदि हम इस वर्ष ६५.७० लाख के लगभग व्यय करने की स्थिति में होते तो मुख्य कार्यों को पूर्ण करना संभव हो जाता। हमारी आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस योजना के लिये हमने केवल २५.६७ लाख की ही व्यवस्था की है। हम केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की मात्रा के विषय में जो वह वर्तमान आय–व्ययक वर्ष में प्रदान कर सकेगी, विचार विमर्श कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारी प्रार्थना कम से कम अंशतः अवश्य ही स्वीकार होगी और हम इस कार्य

के लिये और अधिक व्यवस्था रखने में समर्थ होंगे। आय-व्ययक में भाखरा नांगल परियोजना पर ८२.३० लाख का व्यय करने के लिये भी व्यवस्था रखी गई है। ऐसी आशा की जाती है कि विच्छिन्न सिंचाई के लिये १९५४ में जल प्राप्त हो जायगा और हम निर्माण कार्य भी इस रीति से कर रहे हैं कि ज्यों ही जल प्राप्य होगा, नहरें उसे ग्रहण करने को तैयार रहेंगी, आय-व्ययक-वर्ष में सिंचाई पर हमारा कुल व्यय, संस्थापन व्यय और अन्य व्ययों को सम्मिलित करते हुये, २३८.०० लाख के लगभग होगा।

जल-प्रदाय योजनाएं:—

३९. हमने जल-प्रदाय योजनाओं के सुधार के लिये कुल मिलाकर २५.६६ लाख की व्यवस्था रखी हैं। इसमें गत वर्ष वर्षाभाव के परिणाम स्वरूप आने वाले ग्रीष्म में जल प्रदाय की प्रत्याशित कमी को पूरा करने के उपायों के लिये ३.६० लाख सम्मिलित हैं। इसी प्रयोजन के लिये हमने संशोधित आय-व्ययक में १.१८ लाख की व्यवस्था रखी है, जिसमें कुल जोड़ ४.७८ लाख का हो जाता है। २५.६६ लाख की व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार के अनुदान से पूरा किया जाने के लिए १० लाख का प्रस्तावित व्यय भी सम्मिलित है।

सड़कें और इमारतें:—

४०. इमारतों और यातायात के साधनों के संबंध में हम कुल मिलाकर २१३.०३ लाख व्यय करेंगे, जिसमें से ९०.३३ लाख यातायात के साधनों पर और २३.६० लाख इमारतों पर, जिसमें विस्थापित व्यक्तियों के लिये दुकानें भी सम्मिलित है व्यय होंगे। मैं यातायात के साधनों के सुधार के लिये केन्द्रीय सरकार के ६०.०० लाख के अनुदान का भी निर्देश कर चुका हूं। इस अनुदान से हम ७९ मील गिट्टी की (वाटर वाउण्ड मैकेडम) सड़क २३ मील स्वच्छ ऋतु की सड़क, १६९ मील स्वच्छ ऋतु की वर्तमान सड़कों को पक्की बनानें की और १४७ मील की सड़क पर तार कोल बिछानें की व्यवस्था करने की आशा करते हैं।

विद्युत विभाग:—

४१. नई विद्युत् योजनाओं में से ११ लाख की व्यवस्था तेल से बिजली बनाने के केन्द्रों व ६.३० लाख की व्यवस्था भूपाल शक्ति परियोजना से सम्बन्धित कुछ कार्यों के लिए की गई है। यदि पैसा होता तो इस क्षेत्र में भी हम तेल से बिजली बनाने के केन्द्रों पर बड़ी रकमें व्यय करते क्योंकि इन केन्द्रों के नवीनीकरण की परम आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में हमें अपने आपको उन्हीं कार्यों को पूरा करके संतुष्ट करना है जो हाथ में हैं। हम आशा करते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में अपने शक्ति उत्पादक केन्द्रों में सुधार करने के लिए और अधिक रुपया देना संभव हो सकेगा।

शिक्षा:—

४२. अब मैं शिक्षा की ओर आता हूं। आय-व्ययक में २५०.०० लाख की

व्यवस्था, संशोधित बजट की व्यवस्था में १९.२५ लाख की वृद्धि को सूचित करती है। १९५०-५१, में हमने २०१.९७ लाख व्यय किया। १९५१-५२ में शिक्षा पर २३०.७५ लाख व्यय होने का अनुमान किया गया था १९५२-५३ में वह २५०.०० लाख होगा। सदन अनुभव करेगा कि हमारी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि अपर्याप्त नहीं कही जा सकती है। ५.३५ लाख की एक रकम १९५०-५१ व १९५१-५२ में खोले गये नवीन प्राइमरी स्कूलों तथा उन संस्थाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये रखी गई है जिनमें इन दो वर्षों में आगे को कक्षाएं खोली गई हैं। जोधपुर के इन्जिनियरिंग कालेज तथा स्कूल के लिये, जो १९५१-५२ में ६ लाख रुपये के एक बृहत्त स्वाधीन अनुदान की सहायता से खोला गया था, अधिक खर्चे की व्यवस्था की गई है। आय-व्यय के वर्ष में इसके लिये सामान मंगाने पर लगभग ४ लाख का व्यय होगा, तथा २.५५ लाख और कालिज की इमारत पर व्यय होंगे छात्रों को दी जानेवाली सहायता तथा छात्र-वृत्तियों के नियमों में भी संशोधन करके उसमें एक नवीन भावना का संचार कर दिया गया है। भविष्य में छात्रवृत्तियों के स्थान पर, जो केवल कालिज की फीस के लिये ही पर्याप्त होती हैं, हमनें व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धी कालिजों में पढ़ने वाले निर्धन पर सहायता के अधिकारी छात्रों को उनको समस्त उचित आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसमें उनका भरण पोषण भी शामिल है, के लिये पर्याप्त मात्रा में ऋण देने की व्यवस्था भी की है। व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा पर अधिक व्यय होने के कारण निर्धन पर सहायता के अधिकारी छात्रों के लिये अपने भरण पोषण का प्रबन्ध करना दुस्तर हो जाता है। उपरोक्त योजना उसे इस प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त कर देगी। जमानत की कोई कठोर शर्तें उन पर नहीं लगाई जायंगी; अतः यह ऋण अधिकांश में व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर दिये हुए ऋण के रूप में ही होंगे। वे छात्र: के कमाई शुरू करने पर सरल किश्तों द्वारा चुकाये जा सकेंगे। अदायगी आरंभ हो जाने के साथ साथ और अधिक छात्रों के सहायतार्थ अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकेगा।

अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी एक बड़ी मौलिक समस्या पर कुछ कहूंगा। यह सही है कि राजस्थान में तुलनात्मक विचार से शिक्षा प्रसार का स्तर बहुत नीचा है और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि निरक्षरता निवारण के लिये विशिष्ट प्रयत्नों को आवश्यकता है। दूसरे राज्यों में अधिकांश प्राइमरी स्कूल स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिन्हें सरकार से सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त होता है, चलाये जाते हैं। जब कि हमारे राज्य में लगभग सभी प्राइमरी स्कूल सरकारी खर्चे से ही चलाये जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि यद्यपि हमारे व्यय की मात्रा नगण्य नहीं है फिर भी शिक्षा का इतना व्यापक प्रसार नहीं हो पाता जितना कि उस समय हो सकता है कि जब स्थानीय संस्थायें प्रारम्भिक शिक्षा में आर्थिक सहायता करके अपना उचित सहयोग प्रदान करें। शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, स्वास्थ्य की विकास योजना तथा जल वितरण में सुधार की व्यवस्था के लिये एक प्रबल स्थानीय अभिरुचि का होना आवश्यक है और कोई भी आर्थिक सहायता की योजना इस प्रकार की होनी चाहिये जो स्थानीय अभिरुचि तथा साहस की वृद्धि करने में सहायक हो। एक वृहत्तर

राजनैतिक दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास करने की ओर प्रबल प्रयत्न किये जावें। गणतंत्र सरकार तभी सफल हो सकती ह जब कि नागरिक अपने कर्तव्यों को उचित रूप से समझे और स्थानीय स्वायत्त शासन की समस्याओं तथा अपने कर्तव्यों की ओर रुचि पूर्वक ध्यान दें । कुछ कारणों से, जिन पर यहां विवाद करना अनावश्यक है, राजस्थान में स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी संस्थाओं का विकास अथवा प्रबल वृद्धि नहीं हो सकी । और जो कुछ भी आज विद्यमान हैं वे अपनी सामान्य सेवाओं को संचालित रखने के लिये भी विशाल सरकारी अनुदानों पर ही निर्भर हैं । इस परिस्थिति में परिवर्तन करना होगा और उन्हें स्थानीय प्रयत्नों द्वारा पर्याप्त आय बढाकर अपनी दैनिक सेवाओं के सम्पादन करने का भार वहन करने योग्य होने के लिए प्रोत्साहित करना होगा । दूसरे राज्यों की भांति शिक्षण संस्थाओं व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं तथा जल वितरण योजना के विकास में सहायता प्रदान करने के हेतु सरकारी सहायता अनुदान के सीमित होने के कारण हमारी नीति ऐसी स्थानीय सत्ताओं को, जो ऐसी सेवाओं के, जिनके लिये स्थानीय हित व सहायता अनिवार्य रूपेण आवश्यक है, वास्तविक शक्ति तथा कर्तव्य की भावना से प्रभावित हों निर्माण करने की होनी चाहिये । मैं अनुभव करता हूं कि ऐसा संगठन करने में समय लगेगा, लेकिन स्थानीय संस्थाओं को इस प्रकार उनके कर्तव्यों का उत्तरदायित्व जो किसी भी स्थानीय संस्था के सद्-उद्देश्यों में से है तथा जिसका प्राप्त करने का उनका व्यक्तिगत तथा कर्तव्य के रूप में अधिकार है, संभालने में सहायता देना तथा उन्हें एक अच्छी दृढ स्थिति में कार्य आरंभ करने के योग्य बनाना हमारा एक प्रमुख उत्तरदायित्व होगा ।

हम सहायता अनुदान द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले आय-व्ययक को उपस्थित करने के समय तक हम इस दशा में आशातीत प्रगति कर चुकेंगे ।

चिकित्साः -

४३. सदन देखेगा कि, शिक्षा के समान, चिकित्सा विभाग के व्ययों के लिये भी एक बढी हुई व्यवस्था रखी गई है । १९५०-५१ में व्यय ८९.३६ लाख था । संशोधित अनुमान १००.०० लाख का है और १९५२-५३ के लिये आय-व्ययक अनुमान १०७.५० लाख का है। गत दो वर्षों में चिकित्सा विभाग पर व्यय लगभग १० प्रतिशत की दर से बढ रहा है और यह, हमारी आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए, संतोषप्रद समझना चाहिये । राजस्थान के नगरों में सुन्दर अस्पतालों का एक समूह है, जिसका हमें उचित अभिमान हो सकता है लेकिन देहात-चिकित्सा सहायता के मामले में हमारी स्थिति सोचनीय है । सरकार किस प्रकार इस कमी को अधिक से अधिक पूरा कर सकती है, यह प्रश्न विचाराधीन ह । यहां पुनः यदि अन्य राज्यों के अनुभवों से लाभ उठाना है, तो हमें एक ऐसी योजना बनानी आवश्यक होगी जिसके अंतर्गत स्थानीय सत्ताएं चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था में अधिक अभिरुचि रखेंगी और लागत के अपने हिस्सों का अंशदान करेंगी । मैं राज्य में ऐसे स्थानीय शासन की वृद्धि के प्रोत्साहन की आवश्यकता के संबंध में पहले ही निर्देश कर चुका

हूं जिससे स्थानीय संस्थाएं, लोक समाजों, जिनके कि वे चुने हुये उपकरण हैं, कि, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था में अपना बढ़ा हुआ और आवश्यक योगदान दे सकें ।

राजस्थान में उदार दानी वर्ग प्रचुर मात्रा में हैं और संतोष का विषय है कि उनमें से बहुत से शैक्षिक सुविधाओं और चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था में रुचि ले रहे हैं । हमको बहुत से व्यक्तियों से सहायता पाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । और कुछ मामलों में तो कार्य भी प्रारंभ हो गया है । हम इन समस्त उत्साही लोक-सेवी व्यक्तियों के कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि उनके उदाहरण से औरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आशा है कि अस्पताल की सेवाओं, जो पहले ही सुन्दर हैं, की व्यवस्था के लिये हमारा रेकार्ड और भी उत्तम हो जायगा।

हम आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में से किसी विकास की ओर से भी असावधान नहीं हैं । ५० आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के खोलने की भूतपूर्व राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ हुई योजना को पूर्ण करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । आयुर्वेदिक कालेज में अध्ययन की योजना का, उसमें आधुनिक भेषज एवं शल्य-कर्म की शिक्षा सम्मिलित करने के दृष्टिकोण से, पुनरीक्षण किया गया है, ताकि हमारे छात्रों को उतनी ही उत्तम शिक्षा मिल सकेगी जितनी कि देश की अन्य समान संस्थाओं में मिलती है । विश्वविद्यालय ने एक आयुर्वेदिक फैकल्टी स्थापित कर दी है और आयुर्वेदिक कालेज को उसे संबद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है। चिकित्सालयों को देने के हेतु सरकारी औषधालयों में निर्मित की जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के औषधि संस्कार-ग्रंथों के प्रमाणीकरण के लिये और वैद्यों के रजिस्ट्रेशन के लिये विधान बनाने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

सहकारिताः–

४४. राज्य में कोई शीर्ष (ऐपेक्स) बैंक नहीं है । हमारे यहां नौ केन्द्रीय बैंक हैं, किन्तु कोटा बैंक के अतिरिक्त सब दुर्बल संस्थाएं हैं । परिणाम यह है कि, इस समय सहकारी संस्थाओं द्वारा अपेक्षित धन की व्यवस्था के लिये कोई संतोषपूर्ण प्रबन्ध नहीं है। बैंक आफ जयपुर ने, सरकारी प्रत्याभूति (गारण्टी) के बल पर फिलहाल ९·००० लाख की सीमा तक अस्थायी व्यवस्था करना स्वीकार किया है किन्तु स्पष्ट ही यह व्यवस्था असन्तोषप्रद है । उचित तो यह होगा कि अन्य राज्यों की तरह एक शीर्ष (ऐपेक्स) का बैंक स्थापित कर दिया जाय और जिलों के सहकारी बैंकों को भी मजबूत बनाया जाय । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ऐसा प्रस्ताव है कि भरतपुर के श्रीकृष्ण बैंक को एक सहकारी संस्था में बदल दिया जाय। १० लाख की शेयर कैपीटल के साथ, जिसमें ५० प्रतिशत सरकार अभिदान देगी एक चोटी का बैंक प्रारम्भ करने के लिये भी प्रबन्ध कर लिये गये हैं। तदनुसार आय–व्ययक में ५ लाख की रकम के लिये व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त उनको उत्तम रीति से कार्यारंभ करने के लिये सरकार बैंकों के पास कुछ फिक्स्ड डिपोजिट्स भी छोड़ेगी । सरकार के पास शीर्ष बैंक को, उसके संघठन की प्रारंभिक अवधि में अपने आय-व्ययक को संतुलित रखने योग्य बनाने के लिये एक सहायतार्थ

रकम देने का प्रश्न भी, विचाराधीन है। शीर्ष बैंक सहकारी आन्दोलन को धन देने के लिये जनता की बचत का उपभोग करने के लिये एक मात्र मार्ग के रूप में ही कार्य नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसे उपकरण (साधन) के रूप में भी कार्य करेगा जिसके द्वारा कालान्तर में रिजर्व बैंक कृषि कार्यों के लिये धन दे सकेगा।

४५. पिछड़ी हुई जातियों की कल्याण योजनाओं के लिये हम ९.४० लाख की व्यवस्था रख रहे हैं और यह अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, सिचाई और सड़क निर्माण, जिनके लिये संबंधित विभागों के आय-व्ययकों में व्यवस्था रखी गई है, पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त है। यहां पुन: अधिक व्यवस्था, के जिसे कि रखने की हमारी इच्छा थी, मार्ग में आर्थिक कठिनाइयां आगई हैं। परिस्थितियों के सुधार पर इस विभाग की ओर सर्व प्रथम ध्यान दिया जायगा।

४६. औद्योगिक क्षेत्र में हमने कुछ महत्व पूर्ण उन्नति की है। जोधपुर की सोडियम सल्फाइड़ फैक्ट्री, जो कई कठिनाइयों के कारण काफी अरसे तक बन्द रही, अब पुन: चालू कर दी गई है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस फैक्ट्री की स्थिति विशेष रूप से महत्व की है क्योंकि इसके लिये आवश्यक कच्चा माल सोडियम सल्फेट केवल राजस्थान में ही मिलता है। हम सोडियम सल्फेट के उत्पादन को भी बढा रहे हैं तथा उसके नवीन उपयोगों की भी खोज कर रहे हैं। युरोप और अमरीका में शीशे के निर्माण में सोडियम कारबोनाइट के स्थान पर सोडियम सल्फेट ही प्रयोग में आता है। इंडियन सिरेमिक लैबोरेट्री सोडियम कारबोनाइट के कुछ अंश के स्थान पर सोडियम सल्फेट से शीशा बनाने के परीक्षण कर रही है। अगर यह प्रयोग सफल हो जाते हैं तो हमारे कच्चे माल का एक दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग हो सकेगा। गंगानगर की श्री सादूल टैक्सटाइलज् ने, जिसका गत दो तीन वर्षो से निर्माण हो रहा था, अब कार्य आरंभ कर दिया है। सवाई माधोपुर की सीमेण्ट फैक्ट्री, जिसमें राज्य ने काफी रकम लगाई है, के निर्माण में भी पर्याप्त प्रगति की सूचना प्राप्त हुई है।

४७. घरेलू उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में हम भेड़-पालन और ऊंन के वर्गीकरण में सुधार की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक योजना जिसमें १५ लाख से कुछ अधिक लगने का अनुमान है, बनाई गई है तथा कार्यान्वित भी की जा रही है। इस योजना के लिये हमने आय-व्ययक में २.९७ लाख की व्यवस्था की है। हमने भेड और ऊंन सुधार पदाधिकारी को एक नए कोर्स का अध्ययन करने के लिये कोलोम्बो योजना के अंतर्गत आस्ट्रेलिया भेजा है। ताड-गुड के निर्माण में भी पर्याप्त प्रगति की सूचना प्राप्त हुई है। हथ-करघा विकास निधि से प्राप्त अनुदान की सहायता से हम जयपुर में एक हथ-करघे से निर्माण का केन्द्र भी स्थापित करने की आशा करते हैं।

४८. आय-व्ययक की प्रमुख विशेषताओं का विवरण उपस्थित करने के उपरान्त इसका सिंहावलोकन आवश्यक है। आगामी वर्ष में प्रशासनीय ढांचे को सुव्यवस्थित करने, सब प्रकार से होने वाले व्यर्थ व्यय तथा एक एक काम के कई कई स्थान पर होने को समाप्त करने के संबंध में हमें अत्यधिक विचार तथा सतत प्रयत्न करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त। छोटे व बड़े बचत के रास्ते तथा आय में वृद्धि करने के उपाय भी ढूंढ निकालने का प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार अपनी ओर से संपूर्ण प्रयत्न करने के बाद हम केन्द्र व अर्थ आयोग से सहायता के ऐसे उपायों की सार्थक मांग कर सकेंगे जिससे हमें विशेषकर सिंचन तथा जल विद्युत शक्ति के निर्माण और खनिज संपत्ति जिसकी हमारे यहां विशाल संभावनाएं हैं, के क्षेत्र में अपने साधनों का विकास करने में, सहायता प्राप्त होगी और हम प्रशासन और समाज सेवा के उस स्तर पर पहुंच सकेंगे जिस पर संघ के अन्य समृद्धिशाली राज्य पहुंचे हुए है।

४९. इस अवसर पर मैं सरकार के उन समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आय-व्ययक के निर्माण संबंधी समस्त प्राविधिक विशेषताओं को पूरा करने में कठिन प्रयास किया है। मैं, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री वी० नारायणन का उनकी बहूमूल्य सहायता के लिये, विशेष रूप से आभारी हूं।

५०. अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मुझे सदन के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करना चाहिए जिसने कृपा करके इस भाषण को सुना, जो अनिवार्यतः इतना लम्बा व नीरस हो गया है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति का जो चित्र मैंने खींचा है वह अधिक प्रफुल्लता प्रदान करने वाला नहीं है। इस प्रकार की स्थिति सुधारने में समय, विचार और अथक प्रयास की आवश्यकता ह। इसके लिए हम सबको सम्मिलित रूप से बहुत से अभावों को स्वीकर करना होगा। मुझे विश्वास है कि हमें इस सदन से ऐसी पर्याप्त सहायता व पथ–प्रदर्शन प्राप्त होता रहेगा जिनके हम पात्र हैं और हमारे सम्मिलित प्रयासों के फल-स्वरूप राजस्थान का शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील रूप प्रगट हो सकेगा जिस पर हम यथार्थ में गौरव कर सकेंगे।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—

माननीय अध्यक्षजी, १९५२-५३ का यह बजट मैंने सदन के सामने विचारार्थ पेश किया है।

माननीय अध्यक्षः—

आय–व्ययक का विवरण प्रस्तुत हुआ। इस पर सदन में दूसरे और तीसरे दिन, अर्थात कल के बाद, बहस होगी।

विधान (कानूनी) कार्य

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२

माननीय अध्यक्षः—

माननीय श्री रामकिशोर व्यास, राजस्थान विधान सभा के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को देय (दिये जाने वाले) पारिश्रमिकों की व्यवस्था करने वाला विधेयक पुरः स्थापित (प्रस्तुत) करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:-

माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक १९५२ यानि दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) बिल १९५२ सदन के सामने पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ)

(विराम)

माननीय अध्यक्ष:--

प्रश्न यह है कि:-

राजस्थान विधान सभा पदाधिकारियों तथा सदस्यों को देय (दिये जाने वाले) पारिश्रमिकों की व्यवस्था करने वाला विधेयक पुरःस्थापित (प्रस्तुत) करने की आज्ञा दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:

माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२ पुरःस्थापित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:-

Copies of the bill have not been placed on the table of the House. (विधेयक की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर नहीं रखी गई हैं)

माननीय अध्यक्ष:--

दे आर बीग प्लेस्ड (वे रखी जा रही है)

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--

Unless copies are placed on the table the bill cannot be introduced. (जब तक कि प्रतिलिपियां मेज पर नहीं रखी जाती विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता)

माननीय अध्यक्ष:-

दे बिल बी प्लेस्ड इमिजियेटली नाऊ (वे अब जल्दी ही रख दी जायगी)

श्री जसवन्तसिंह:-

श्रीमान् अध्यक्षजी, क्या मैं जान सकता हूं कि कांग्रेस की तरफ से कोई

नया नेता चुना गया है, जो दूसरे नेता की सीट ली गई है?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–

It is nowhere covered by the Rules of the Assembly. (विधान सभा के नियमों में यह कहीं नहीं आया हुआ है)

माननीय अध्यक्ष:--

विधेयक पुरःस्थापित हो चुका।

(विराम)

अब सदन की बैठक बुधवार, ९ अप्रेल, सन् १९५२ ई०, प्रातःकाल ८-३० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात् सदन १० बजे, बुधवार दिनांक ९ अप्रेल १९५२ ई० के प्रातःकाल ८-३० बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

टाउन हॉल,
जयपुर
७ अप्रेल, सन् १९५२।

मन्साराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।